

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक  
पीठासीन अधिकारी-

मिसल नम्बर

51/2023/प्रा.पत्र/2023

तारीख दायरा

14.06.2023

डॉ. सूरज सिंह नेगी

आर.ए.एस.

तारीख निर्णय

13.10.2023

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
टोंक

बनाम

.....प्रार्थी

- 1-श्री सौरभ जिन्दल पुत्र श्री श्याम जिन्दल निवासी ज्योति कॉलोनी देवली जिला टोंक एफ. बी.ओ. मैसर्स विनायक दूध डेयरी गणेश रोड देवली जिला टोंक राज.
- 2-मैसर्स विनायक दूध डेयरी गणेश रोड देवली जिला टोंक राज.

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित-

1-पेरोकार सरकार।

2-अभिभाषक अप्रार्थी श्री विक्रम जैन उप।

:--निर्णय--:

दिनांक 13.10.2023

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 06.10.2023 को समय 01:00 पीएम पर मैसर्स विनायक दूध डेयरी गणेश रोड देवली जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां श्री सौरभ जिन्दल पुत्र श्री श्याम जिन्दल मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री सौरभ जिन्दल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एकमात्र मालिक होना बताया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान का निरीक्षण करने पर पाया कि दुकान में आम जनता को विक्रय करने हेतु स्टील की एक टंकी में लगभग 10-13 किलोग्राम घी (खुला) रखा हुआ था, जिसका निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री सौरभ जिन्दल को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री सौरभ जिन्दल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह घी (खुला) वास्ते नमूना जांच कय किया जा रहा है, 800 ग्राम जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा घी (खुला) 800 ग्राम को बराबर-बराबर चार साफ एवं सूखी प्लास्टिक की शिशियों में प्रत्येक में 200-200 ग्राम भरकर अच्छी तरह एयरटाइट बन्द कर नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई-3285, दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई-3285 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./2022/3563 दिनांक 31.10.2022 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. एल.एस./2908/एक्ट/2020/2940 दिनांक 17.10.2022 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया घी (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zz)(viii) व 3(1)(zz)(xi) के उल्लंघन के कारण असुरक्षित (Unsafe) स्तर का होना पाया गया।

उक्त जांच रिपोर्ट के विरुद्ध धारा 46(4) के तहत समयावधि में विक्रेता श्री सौरभ जिन्दल ने पुनः नमूना जांच हेतु अपील दायर की जिस पर नमूना पुनः जांच हेतु निदेश रैफरल फूड लैब मैसूर में जांच हेतु भिजवाया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/272 दिनांक 05.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि निदेशक रैफरल फूड लैब मैसूर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सर्टिफिकेट नं. एफटी/एक्यूसीएल/एफएसएसए (1043एफ)/2022 दिनांक 07.03.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया घी (खुला) खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 3(1)(zx) के अनुसार अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया जो कि अन्तिम रूप से मान्य हैं। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री विक्रम जैन उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस



में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ को विक्रेता ने निर्माता फर्म से खरीदकर उसी अवस्था में ज्यों का त्यों विक्रय हेतु रखा था। उसकी ओर से इसमें किसी तरह की मिलावट नहीं की गई है। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ प्रकरण का निस्तारण किया जावे। परोकार सरकार की बहस सुनी गई। परोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस घी (खुला) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं परोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया घी (खुला) का नमूना जांच में अवमानक (Sub-Standard) स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रुपये 25,000/- (अक्षरे पच्चीस हजार रुपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 13.10.2023 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.10.2023 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।



(डॉ. सूरज सिंह बेगी)  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
टोंक  
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट  
टोंक-राज0